<u>फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2021-22

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

(धनराशि रू० लाख में)

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग
1	2	3	4	5	6
2041 00 800 03 00 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान 45-अवकाश यात्रा व्यय	0.5	0.5	0.5	0.5	00
योग-	0.5	0.5	0.5	0.5	**00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2041 00 800 03 00 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान 49-चिकित्सा व्यय	1.2	1.7	0.5	0.5	1.7
योग -	1.2	1.7	0.5	0.5	1.7

1- स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है:-

इस न्यायाधिकरण में कार्यरत श्री अमित कुमार निगम, मुन्सरिम, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उ०प्र०, लखनऊ को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। अत: 2041-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान-45-अवकाश यात्रा व्यय में अवकाश प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने के कारण रू० 50000/- मात्र (रू० पचास हजार मात्र) की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस न्यायाधिकरण में कार्यरत श्री बृजेन्द्र स्वरूप के पक्ष में रू० 32257/- मात्र की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृति के पश्चात श्री अमित कुमार निगम, मुन्सरिम, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उ०प्र०, लखनऊ को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। अत: 2014-वाहनकर-00-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान-49-चिकित्सा व्यय में रू० 50,000/- मात्र (रू० पचास हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

संख्या-आर०ई०-261 /ई-9-यू0ओ0-ई-9-3534/दस-2021-22, दिनॉक 08 जनवरी, 2022

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

ह०/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र० शासन।

संख्या-18/2021/4311/तीस-3-2021, दिनॉक 08 जनवरी,2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in